न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/ जे०एम०, जेवर गौतमबुद्धनगर

उपस्थितः नाज़िम अकबर (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

J.O.CODE-UP3328
Bail Appl. No.-577/2023
CNR-UPGB120022752023

सरकार बनाम सीमा गुलाम हैदर

मु.अ.सं.-159/2023

धारा-120B भा.द.सं. व 14 विदेशी अधि.

थाना-रबूपुरा, जिला-गौतमबुद्धनगर

दिनांक–07.07.2023

1. आज अभियुक्ता **सीमा गुलाम हैदर पत्नी गुलाम हैदर** की ओर से द्वारा अधिवक्ता मु.अ.सं.-159/2023, अन्तर्गत धारा-120B भा.द.सं. व 14 विदेशी अधि., थाना-रबूपुरा, जिला-गौतमबुद्धनगर के मामले में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

2. अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता को जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

3. अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से कथन किया गया है कि अभियुक्ता के द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थिया के साथ उसके चार बच्चे भी मौजूद हैं जिनकी उम्र छः वर्ष व उससे कम है और उनकी देख-भाल करने वाला प्रार्थिया के अलावा कोई नहीं है। प्रार्थिया द्वारा अज्ञानता के चलते भारत की सीमाओं में प्रवेश किया गया है। प्रार्थिया द्वारा भारत की सीमाओं में किसी गलत इरादे से प्रवेश नहीं किया गया है। बल्कि वह सहअभियुक्त सचिन मीणा के प्यार/दोस्ती के चलते उसके साथ घर बसाने के उद्देश्य से आयी है।

4. सुना तथा प्रपत्रों का सम्यक् परिशीलन किया गया। परिशीलन से विदित होता है कि अभियुक्ता पर यह आरोप है कि उसके द्वारा भारत की सीमाओं में बिना अनुमति के प्रवेश किया गया है। प्रार्थिया/अभियुक्ता के साथ उसके चार नाबालिग बच्चे भी हैं तथा सबसे बड़े बच्चे की उम्र केवल छः वर्ष है। प्रस्तुत मामला पांच वर्ष तक के कारावास व अर्थदण्ड से दण्डनीय है। अभियुक्ता दिनांक 04.07.2023 से जिला कारागार में निरूद्ध है। मामला मजिस्ट्रेट द्वारा परिक्षणीय है। उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दिशा-निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्ता **सीमा गुलाम हैदर पत्नी गुलाम हैदर** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्ता द्वारा 30,000/- रूपये (30 हजार रूपये) के दो **स्थानीय प्रतिभू** व समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता हैः-

1. अभियुक्ता सक्षम प्राधिकारी को सूचित किये बिना भारत नहीं छोड़ेगी।
2. अभियुक्ता अपने वर्तमान पते को परिवर्तित करने की दशा में न्यायालय को अनिवार्य रूप से अपने परिवर्तित पते से अवगत करायेगी।
3. अभियुक्ता किसी भी अन्य प्रकार के अपराध को पुनः नहीं कारित करेगी।

यदि उपरोक्त शर्तों में से अभियुक्ता द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो अभियोजन के पास यह विकल्प होगा की वह अभियुक्ता के खिलाफ जमानत निरस्तीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर सके।

सिविल जज (जू0 डि0)/जे0 एम 0
जेवर, गौतमबुद्धनगर